फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

रामेश्वरलाल **बनाम** चेतराम व अन्य

किस्म मुकदमा:— 53, 209 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या:—38/2015 (RCMS :- 2015/00082)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.11.2020	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादी ने वाद पत्र दोहराते हुए बताया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी भूमि वाके चक 3 बी0जे0डब्लयू0—II (ए) खाता सं. 20/41 प.नं. 12/59 (22) कि.नं. 20 ता 22 में 0.709 कमाण्ड, प.नं. 12/50(25) कि.नं. 1 ता 25/6.074 हैक. कमाण्ड, प.नं. 12/52 (26) कि. नं. 25/0.253 हैक्टर कमाण्ड, प.नं. 12/53 (33) कि.न. 5—6/0.417 हैक्टर कमाण्ड मय खाला, प.नं. 12/61 (34) कि.न. 1 ता 10/2.442 हैक्टर कमाण्ड मय खाला कुल 9.895 हैक्टर कमाण्ड भूमि दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वादी के नाम 120 हिस्सा यानि 1.518 हैक्टर भूमि हिस्सा अनुसार दर्ज रिकार्ड है। यह भूमि वादी ने जरिये बैयनामा खरीद की है। वादी का कब्जा काश्त में वाके चक 3 बी.जे.डब्लयू.—II (ए) खाता सं. 20/41 प.नं. 12/50 (25) कि.नं. 1,2,9,10 ता 12 कुल 1.518 हैक्टर कमाण्ड भूमि है जिसका खाता विभाजन वादी अपने हक में करवाना चाहता है। वादी ने प्रतिवादीगण को खाता विभाजन करने हेतु निवेदन किया किन्तु उन्होने इन्कार कर दिया। इसलिये वाद वादी स्वीकार कर वादी के कब्जा काश्त अनुसार डिक्री किया जावे। पत्रावली पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी न. 1 ता 9 बावजूद सम्यक् तामिल हो जाने पर भी इस न्यायालय में उपस्थित नही होने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रतिवादी सं. 10—11 ने उनके हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय करने हेतु निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया मुताबिक रिकॉर्ड चक 2 बी.जे.डब्लयू—II (ए) की जमाबन्दी सम्वत् 2062 ता 265 के खाता न. 20/41 के 9.895 हैक. कमाण्ड मय खाला भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है। जिसमें वादी का 120 हिस्सा यानि 1.518 हैक्टर रकबा है। वादी अन्य प्रतिवादीगण से जमाबन्दी में अंकित हिस्सा व मौका पर कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहता है। इसिलये संयुक्त खाता की भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य जमाबन्दी में उनके अंकित हिस्सा व मौका पर अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब (मिटस् एण्ड बाउडस्) के अनुसार खाता विभाजन हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर खाता विभाजन किया जाना हम उचित समझते है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर वादाधीन भूमि वाके चक 2 बी.जे.डब्लयू—II (ए) की जमाबन्दी सम्वत् 2062 ता 265 के खाता न. 20/41 के 9.895 हैक. कमाण्ड मय खाला भूमि का वादी व अन्य प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन जमाबन्दी में अंकित हिस्सा एवं मौका अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब (मिटस् एण्ड बाउडस्) के अनुसार मौका पर जाकर खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मौका कमिश्नर तहसीलदार सूरतगढ़ को कमिश्नर फीस रूपये 1000/— एक हजार मात्र वादी द्वारा दी जावेगी। तहसीलदार सूरतगढ़ विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में अंकित हिस्सा व मौका पर कब्जा काश्त अनुसार तैयार कर नक्शा एवं वर्तमान जमाबन्दी सहित प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो। पत्रावली तहसीलदार सूरतगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रस्तुत हो। निर्णय आज दिनांक 05.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मनोज कुमार मीणा) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:30:38 IST
Reason: SelfAttested

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: **प्राथमिक डिकी** ::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

–:: **अनवान** ::–

1.रामेश्वरलाल पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी सांवलसर तह0सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

– वादी

बनाम

1.चेतराम पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी श्योपुरा तह0सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2.कालूराम पुत्र पीरूराम जाति सुथार निवासी भोजेवाला तह0सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3.मनेसदास पुत्र गिरधारीलाल जाति स्वामी निवासी कस्वा वाला ढेर तह0 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4.कानाराम
5.लच्छीराम
6.बाबुराम
7.ओमप्रकाश
8. चांदाराम
9.बेगाराम

} पिसरान आदूराम जाति सुथार निवासी चक 3 बी.जे.डब्लयू. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

10.भारतीय स्टेट बैंक शाखा सूरतगढ़
11.एस.बी.बी.जे. (ए.डी.बी.) शाखा सूरतगढ़
12.राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–53,209 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 38 वर्ष 2015 (RCMS 2015/00082) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री कमलदत्त शर्मा व वकील प्रतिवादी सं. 10–11 श्री ओमसिंह व राजपैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिकी जारी की जाती है कि :–

वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर वादाधीन भूमि वाके चक 2 बी.जे.डब्लयू–II (ए) की जमाबन्दी सम्वत् 2062 ता 265 के खाता न. 20/41 के 9.895 हैव. कमाण्ड मय खाला भूमि का वादी व अन्य प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन जमाबन्दी में अंकित हिस्सा एवं मौका अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब (मिटस् एण्ड बाउडस्) के अनुसार मौका पर जाकर खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मौका कमिश्नर तहसीलदार सूरतगढ़ को कमिश्नर फीस रूपये 1000/– एक हजार मात्र वादी द्वारा दी जावेगी। तहसीलदार सूरतगढ़ विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में अंकित हिस्सा व मौका पर कब्जा काश्त अनुसार तैयार कर नक्शा एवं वर्तमान जमाबन्दी सहित प्रस्तुत करें।

नोज....x....मुबलिग..... x....बाबत..... x....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....x.....फस्दों की पालना.... x..आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 05.11.2020 को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:30:38 IST
Reason: SelfAttested